

अभिलेख उपस्थापित।

28

(1) भुनेश्वर राम, पिता स्व० रामलाल राम (2) बासमति देवी, पति भुनेश्वर राम, ग्राम-मेरू, पोस्ट-मेरू, बी०एस०एफ०, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छेदनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, मौजा-मेरू, थाना नं०-216, खाता संख्या-31, प्लॉट संख्या-197, रकबा-1.50 डी० एवं खाता संख्या-48, प्लॉट संख्या-196, रकबा-1.50 डी० कुल रकबा-3.00 डी० भूमि सुजीत कुमार पासवान, पिता भुनेश्वर पासवान, ग्राम-मेरू, पोस्ट-मेरू, बी०एस०एफ०, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-395/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2155/रा० दिनांक-24.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 2049 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -


क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत जानकी महतो वगै० हैं। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 0.07 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-59/XI पर भुनेश्वर राम एवं पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-58/XI पर बासमति देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2023-24 एवं 2018-19 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में अवशेष रकबा 1.65 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	3 का टिप्पण
1	2	

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)भुनेश्वर राम, पिता स्व० रामलाल राम (2)बासमति देवी, पति भुनेश्वर राम, ग्राम-मेरु, पोस्ट-मेरु, बी०एस०एफ०, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, मौजा-मेरु, थाना नं०-216, खाता संख्या-31, प्लॉट संख्या-197, रकवा-1.50 डी० एवं खाता संख्या-48, प्लॉट संख्या-196, रकवा-1.50 डी० कुल रकवा-3.00 डी० भूमि सुजीत कुमार पासवान, पिता भुनेश्वर पासवान, ग्राम-मेरु, पोस्ट-मेरु, बी०एस०एफ०, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग


अपर सम्मलन, हजारीबाग
